"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 जून 2005—ज्येष्ठ 28, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2005/1/एक.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर सुश्री लता उसेंडी को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा नियुक्त सुश्री लता उसेंडी ने संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार आज पूर्वान्ह, प्रातः 11.00 बजे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपना पद ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. **विजयवर्गीय**, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2005

क्रमांक एफ 3-7/2005/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 जून, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

Raipur, the 18th June 2005

NOTIFICATION

No. F 3-7/2005/1/On.—On the advice of Chief Minister, the Governor of Chhattisgarh has appointed Ms. Lata Usendi as Minister of State (Independent charge)

Ms. Lata Usendi appointed by the Governor, took the Oatn of office and secrecy of the Minister of State (Independent charge) at 11.00 a.m. today, in accordance with clause (3) to Article 164 of the constitution and entered her office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005